# न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 383/2019

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 बाबूलाल 2 गुणेशाराम 3 अमेदाराम पिसरान जगमालराम जाति जाट निवासी जेतोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर। | बनाम | 1 जगमालराम 2 विशनाराम पिसरान भीखाराम जाति जाट निवासी जेतोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री डालूराम गोदारा, वकील वादीगण।

2. श्री निम्बाराम बेनिवाल, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

## निर्णय

दिनांक 18.03.20....

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 भीखाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक भूमि मौजा जेतोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 749/677 रकबा 30.16 बीघा, खसरा संख्या 751/677 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 762/697 रकबा 04.08 बीघा, खसरा संख्या 768/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.15 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भीखाराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 जगमालराम व प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज हुई। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 जगमालराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/8–1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 जगमालराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 जगमालराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 03 अमेदाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 03 अमेदाराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर



Scanned with CamScanner

जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण, को प्रतिवादी संख्या 01 जगमालराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जेतोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 749/677 रकबा 30.16 बीघा, खसरा संख्या 751/677 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 762/697 रकबा 04.08 बीघा, खसरा संख्या 768/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.15 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 जगमालराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
**सहायक कलक्टर**
**(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर**

निर्णय आज दिनांक 18/03/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

**सहायक कलक्टर**
**(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * बाड़मेर *

प्रपत्र – 5

# न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 रूपाराम 2 सुखाराम 3 प्रभुराम 4 भगताराम पिसरान दौलाराम जाति जाट निवासी किसनोणियों का तला (उण्डखा) तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 दौलाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी किसनोणियों का तला (उण्डखा) 2 शान्ती पुत्री दौलाराम पत्नी दमाराम जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर 3 नवली पुत्री दौलाराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चौहटन जिला बाडमेर। |

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 388/2019
निर्णय दिनांक :– 18/03/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/03/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा पूनडों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 151/86 रकबा 50.17 बीघा भूमि एवं मौजा किसनोणियों का तला (उण्डखा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 586/123 रकबा 36.05, खसरा संख्या 588/123 रकबा 55.06 बीघा भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को प्रतिवादी दौलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 से 03 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 18/03/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक)
बाडमेर

**वाद के खर्चे**

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 ......... रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\...

Scanned with CamScanner